ए.

शीला सेबेस्टियन

बनाम

आर. जवाहराज और ए. एन. आर. ईटीसी।

(2010 की आपराधिक अपील संख्या 359-360) 11 मई, 2018

बी.

[एन**.** वी**.** रमना और एस**.** अब्दुल नजीर**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860-एस. एस.420, 464, 465 – जालसाजी का आरोप-अभियोजन का मामला था कि आरोपी नं।1, शिकायतकर्ता की संपत्ति के मालिक के रूप में प्रतिरूपण करने वाले धोखेबाज़ की सहायता से, उसके नाम पर एक पावर ऑफ अटॉर्नी (पी. ओ. ए.) बनाया जैसे कि वह उसका एजेंट हो और उक्त पी. ओ. ए. अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या का उपयोग करते हुए।1 अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. के पक्ष में एक बंधक विलेख निष्पादित करके संपत्ति को हस्तांतरित करने का प्रयास किया।2 – निचली न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि, सत्र न्यायालय द्वारा बरकरार-उच्च न्यायालय ने नीचे दी अवर न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष को अपास्त करना दिया और बरी करने का आदेश दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया:ऐसे व्यक्ति पर जालसाजी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है जो जाली दस्तावेज का निर्माता नहीं है-स्पष्टीकरण 2 से एस।464 यह बताता है कि, एस के तहत अपराध का गठन करने के लिए।464 यह आवश्यक है कि अभियुक्त व्यक्ति झूठे दस्तावेज़ का निर्माता हो-तत्काल मामले में, निचली न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है कि अभियुक्त-उत्तरदाताओं ने कोई झूठा दस्तावेज़ बनाया है-यह धोखेबाज़ है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उसने जालसाजी करके झूठा दस्तावेज़ बनाया है-अभियोजन पक्ष विश्वसनीय सबूत पेश करके जालसाजी के अपराध को साबित नहीं कर सका-ऐसी स्थिति में निचली न्यायालय के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने भी अभियुक्त को दोषी ठहराकर खुद को गुमराह किया-उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को सही तरीके से बरी कर दिया।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जाँच-बारीकी से जाँच-न्याय की विफलता-हाथ में मौजूद यह मामला खराब अभियोजन और घटिया जाँच का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को बरी कर दिया गया-जाँच अधिकारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय मेहनती होने की उम्मीद की जाती है-उसे निष्पक्ष, पारदर्शी होना चाहिए और उसका एकमात्र प्रयास सच्चाई का पता लगाने का होना चाहिए-हालाँकि, उसने पी. ओ. ए. को निष्पादित करने वाले धोखेबाज़ के ठिकाने का पता लगाने के लिए न्यूनतम ध्यान भी नहीं दिया है-रिकॉर्ड पर साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चला है कि पी. ओ. ए. को शिकायतकर्ता द्वारा निष्पादित नहीं किया गया था और लाभार्थी आरोपी है, फिर भी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सका।

जी.

एच.

439 ए.

440 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 4 एस. सी. आर.

– एकतरफा जाँच में अड़चनें मामले की जड़ तक गईं और अभियोजन के मामले के लिए घातक साबित हुईं।

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** धारा **463** जालसाजी के अपराध को परिभाषित करती है**,** जबकि धारा **464** आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **463** के तहत जालसाजी का अपराध करने के उद्देश्य से एक झूठा दस्तावेज कब बनाया गया था**,** इसका जवाब देकर इसकी पुष्टि करती है। धारा **465** जालसाजी के अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है।धारा **465** के तहत दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए**,** पहले यह साबित करना होगा कि धारा **463** के तहत जालसाजी की गई थी**,** जिसका अर्थ है कि धारा **464** के तहत सामग्री को भी संतुष्ट किया जाना चाहिए।इसलिए जब तक धारा **463** के तहत सामग्री संतुष्ट नहीं होती है**,** तब तक किसी व्यक्ति को धारा **465** के तहत पूरी तरह से धारा **464** के तत्वों पर भरोसा करके दोषी नहीं ठहराया जा सकता है**,** क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन अधूरा रहेगा।**[**पैरा **19] [447-**ए-सी**]**

बी.

सी.

डी.

2. जालसाजी का आरोप उस व्यक्ति पर नहीं लगाया जा सकता है जो इसे बनाने वाला नहीं है।दस्तावेज़ बनाना इसे बनाने से अलग है।जैसा कि धारा **464** का स्पष्टीकरण **2** आगे स्पष्ट

करता है कि, धारा **464** के तहत अपराध का गठन करने के लिए यह अनिवार्य है कि एक झूठा दस्तावेज बनाया जाए और आरोपी व्यक्ति उसी का निर्माता हो, अन्यथा आरोपी व्यक्ति जालसाजी के अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है।"गलत दस्तावेज़" की परिभाषा "जालसाजी" की परिभाषा का एक हिस्सा है।दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए।'जालसाजी और धोखाधड़ी अनिवार्य रूप से साक्ष्य के मामले हैं जिन्हें प्रत्यक्ष साक्ष्य या सिद्ध तथ्यों से प्राप्त निष्कर्षों द्वारा एक तथ्य के रूप में साबित किया जा सकता है।हाथ में मामले में, ट्रायल न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है कि उत्तरदाताओं ने उस 'झूठे दस्तावेज़' की आड़ में बंधक विलेख को निष्पादित करने के लिए कोई झूठा दस्तावेज़ या दस्तावेज़/रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है।इसलिए, न तो प्रत्यर्थी नहीं।**1** न ही प्रत्यर्थी नं।**2** जाली दस्तावेजों के निर्माताओं के रूप में आयोजित किया जा सकता है।**[**पारस **25,26] [449-**ई**-**एच**; 450-**ए**]**

ई.

एफ.

जी.

3. संबंधित अधिकारी द्वारा धोखेबाज़ का पता नहीं चला है या उसकी जाँच नहीं की गई है। धोखेबाज़ और प्रत्यर्थी के बीच संबंध पर कुछ भी नहीं बताया गया है।**1.**प्रबल संदेह, संयोग, गम्भीर संदेह प्रमाण की जगह नहीं ले सकते।कर्तव्य ए

एच.

441

शीला सेबेस्टियन बनाम आर. जवाहराज और ए. एन. आर.

अदालतों पर यह सुनिश्चित करने के लिए लगाया जाता है कि कानूनी सबूत पर संदेह न हो।इस मामले में, निचली न्यायालय के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य को दरकिनार कर दिया कि आरोपी बंधक विलेख का लाभार्थी या निष्पादक है, जहां अभियोजन पक्ष पहले लेनदेन यानी पी. ओ. ए. को धोखाधड़ी और जाली लेनदेन के रूप में साबित करने में बुरी तरह विफल रहा।साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चला कि शिकायतकर्ता द्वारा पी. ओ. ए. को निष्पादित नहीं किया गया था और लाभार्थी आरोपी है, फिर भी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सका।एकतरफा जाँच में अड़चनें मामले की जड़ तक जाती हैं और अभियोजन के मामले के लिए घातक होती हैं।यदि अभियोजन पक्ष और जांच एजेंसी के बीच यह समन्वय है, तो हर आपराधिक मामले में बरी होने की प्रवृत्ति होती है।इस प्रक्रिया में, आम आदमी आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली पर विश्वास खो देगा, जो एक अच्छा लक्षण नहीं है।जाँच, अभियोजन पक्ष के साथ-साथ न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि पूर्ण और भौतिक तथ्यों और साक्ष्य को अभिलेख पर लाया जाए, ताकि न्याय की विफलता की कोई गुंजाइश न हो। **[**पैरा **27,28] [450-**सी**-**ई**,** जी**; 451-**ए**]**

बी.

सी.

डी.

मो**.** इब्राहिम और ओरस**.** वी**.**बिहार और अन्न राज्य। **(2009)**

8 एससीसी 751:[2009] 9 एससीआर 845; मीर नागवी अस्करी बनाम।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो **(2009) 15** एस**.** सी**.** सी**. 643:[2009] 13** एससीआर **124;** लतेश **@**दादू बाबूराव कार्लेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2018) 3** एससीसी **66-** आश्रित

ई.

पर।

गुरु बिपिन सिंह बनाम चोंगथम मणिहार सिंह और

एक और (1996) 11 एस. सी. सी. 622:[1996] 7 पूरक।एस. सी. आर. 611-संदर्भित।

एफ.

डिकिन्स बनाम गिल (1896) 2 क्यू. बी. 310-संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[1996] 7 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 611** को संदर्भित किया गया

पैरा **5**

जी.

[2009] 9 एस**.** सी**.** आर**. 845** पैरा **21 [2009]** पर निर्भर था **13** एस**.** सी**.** आर**. 124** पैरा **24 (2018)** पर निर्भर था **3** एस**.** सी**.** सी**. 66** पैरा **27** पर निर्भर था

एच.

ए.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2010 की आपराधिक अपील सं. 359-360।

सी. आर. एल. में मद्रास में उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के दिनांक 25.01.2008 के निर्णय और आदेश से। 2005 का आर. सी. सं. 523 और सी. आर. एल. 2005 का आर. सी. सं. 546।

बी.

आर. आनंद पद्मनाभन, रोमिल पाठक, अनन्या मुखर्जी, अक्षय आर. (प्रमोद दयाल के लिए), अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता।

सबरीश सुब्रमण्यन, प्रभु राम सुब्रमण्यन, वाई. विलियम विनोथ कुमार, वी. जी. प्रगसम (मैसर्स लीजन ऑफ लॉयर्स के लिए), प्रत्यर्थियों के लिए अधिवक्ता।

सी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एन. वी. रमना, जे. 1.ये आपराधिक अपीलें 2005 के आपराधिक संशोधन मामले में मद्रास, मदुरै पीठ में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25.01.2008 के विवादित आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसमें उच्च न्यायालय ने आपराधिक संशोधनों की अनुमति दी है और यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त उत्तरदाताओं की दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 465 के तहत टिकाऊ नहीं है।2. इन अपीलों को जन्म देने वाले अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि शिकायतकर्ता श्रीमती डोरिस विक्टर (अपीलार्थी की मृत माँ) वल्लीयूर गाँव में सर्वेक्षण संख्या 1777/1 A, 1778/1,1779 1 और 1779/2 में एक भूखंड की मालिक थीं।शिकायतकर्ता का आरोप है कि, आरोपी नं। 1, (आर. जवाहराज), एक धोखेबाज़ की सहायता से, जिसने श्रीमती डोरिस विक्टर के रूप में अपने नाम पर एक पावर ऑफ अटॉर्नी (इसके बाद 'पीओए') बनाया, जैसे कि वह उसका एजेंट हो।यह भी आरोप लगाया गया कि उपरोक्त पी. ओ. ए. का उपयोग करते हुए आरोपी नं. 1, अभियुक्त सं. 1 के पक्ष में एक बंधक विलेख निष्पादित करके शिकायतकर्ता की संपत्ति को हस्तांतरित करने का प्रयास किया। 2, (राजापंडी) Rs.50,000/- की राशि के लिए।उपरोक्त लेन-देन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद, संपत्ति की मालिक श्रीमती डोरिस विक्टर ने पुलिस को शिकायत दी जिसे बाद में 14.03.1998 की प्राथमिकी के रूप में दर्ज किया गया।जाँच पूरा होने के बाद, उपरोक्त अभियुक्तों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 420,423 और 424 के तहत अंतिम रिपोर्ट दर्ज की गई। शिकायतकर्ता श्रीमती डोरिस विक्टर की शिकायत दर्ज कराने के बाद मृत्यु हो गई।

डी.

ई.

एफ.

जी.

3. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी नं. 1 धारा 420,423 और ए के तहत दंडनीय कथित अपराधों के लिए

एच.

443

शीला सेबेस्टियन बनाम आर. जवाहराज और ए. एन. आर. [एन. वी. रमना, जे.] ए.

465,आई. पी. सी. और अभियुक्त नं. 2 आई. पी. सी. की धारा 109 सहपठित धारा 424 और 465 के तहत अपराधों के लिए। दोनों अभियुक्तों पर सी. सी. नं.: वल्लियूर में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाया गया था।62/1999, जिसमें अभियुक्त नं. 1 को आई. पी. सी. की धारा 465 के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे 2 साल के साधारण कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। 5, 000/- और अभियुक्त नं। 2 को 1 वर्ष की अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 2, 000/- आई. पी. सी. की धारा 109 सहपठित धारा 465 के तहत अपराधों के लिए दिनांक 12.03.2003 के आदेश के अनुसार।4. उसी से व्यथित होकर, प्रत्यर्थियों-अभियुक्त ने एल. डी. के समक्ष अपील की। तिरुनेलवेली में सत्र न्यायाधीश ने 2003 की आपराधिक अपील संख्या 72 और 78 के माध्यम से, जो दोषसिद्धि के आदेश को बरकरार रखते हुए खारिज हो गई।

बी.

सी.

5. इसके बाद, प्रत्यर्थियों ने मद्रास उच्च न्यायालय, मदुरै की पीठ का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उच्च न्यायालय ने नीचे दी अवर न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों को दरकिनार करके पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं को बरी कर दिया।उच्च न्यायालय, गुरु बिपिन सिंह बनाम मामले में निर्णय के आधार पर।

डी.

चोंगथम मणिहार सिंह और अन्य, 1996 (11) एस. सी. सी. 622 का अवलोकन किया गया

कि, धारा 464, आई. पी. सी. की आवश्यकता धारा 464 के स्पष्टीकरण 2 के तहत जो कहा गया है, उसे देखते हुए संतुष्ट नहीं है।स्पष्टीकरण के अवलोकन से आगे, यह स्पष्ट है कि जालसाजी के अपराध से आकर्षित होने के लिए, "एक झूठा दस्तावेज बनाना आवश्यक है। इसलिए उसके समक्ष दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत आई. पी. सी. की धारा 464 के तहत कोई मामला नहीं बनाया गया है, इसलिए इसे समान रूप से कायम नहीं रखा जा सकता है।6. उत्तरदाताओं के खिलाफ निचली अदालतों द्वारा दर्ज किए गए दोषसिद्धि के समवर्ती निष्कर्षों को

दरकिनार करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट, अपीलार्थी (मृतक डोरिस विक्टर की बेटी) ने इस अदालत के समक्ष वर्तमान अपील दायर की।

ई.

एफ.

7. अपीलार्थी के वकील ने प्रस्तुत किया कि, उच्च न्यायालय अभिलेख पर रखी गई सामग्री की सराहना करने में विफल रहा और प्रत्यर्थी को केवल इस आधार पर बरी कर दिया कि जाली दस्तावेज़ पर उनके हस्ताक्षर नहीं पाए गए हैं।अपीलार्थी के अनुसार, यह आई. पी. सी. की धारा 464 की गलत व्याख्या है जो यह अनिवार्य करती है कि जो कोई भी झूठा दस्तावेज बनाता है वह जालसाजी का दोषी है।प्रत्यर्थियों ने कथित तौर पर श्रीमती डोरिस विक्टर की संपत्ति को हड़पने के एकमात्र इरादे से जाली पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया।

जी.

एच.

8. इसके विपरीत, एल. डी.प्रतिवादियों के वकील ने उच्च न्यायालय के फैसले और उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या का समर्थन किया कि आई. पी. सी. की धारा 464 के तहत अपराध कैसे आकर्षित होता है।इसके अलावा वह प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी को संपत्ति वापस मिल गई है और बंधक विलेख को एक सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है।

बी.

9. इससे पहले कि हम मामले के गुण-दोष पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें, मामले में शामिल विवाद की बेहतर समझ के लिए अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों के बयानों पर एक नज़र डालना उचित होगा।

10. पी. डब्ल्यू. 1 (नारायणन पिल्लई), जो एक दस्तावेज़ लेखक हैं, ने कहा कि 08.12.1997 पर, दोनों आरोपी एक महिला के साथ थे, जिसने खुद को श्रीमती डोरिस विक्टर के रूप में पहचाना और आरोपी नंबर 1 के पक्ष में एक पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित करने के लिए पी. डब्ल्यू. 1 से संपर्क किया।पी. डब्ल्यू. 1 द्वारा उक्त दस्तावेज़ बनाए जाने के बाद, दो गवाहों ने पी. डब्ल्यू. 1 के साथ अपने हस्ताक्षर किए।बाद में उन्होंने उक्त दस्तावेज़ को उप-पंजीयक, पननगुडी के कार्यालय में पंजीकृत किया।इसके एक महीने बाद, दोनों आरोपी

अभि. साक्षी 1 के कार्यालय में उक्त संपत्ति के संबंध में बंधक विलेख के निष्पादन के लिए आए। 50, 000/-।अभि. साक्षी 1 ने उक्त दस्तावेज़ तैयार किया जिस पर तब अभियुक्त नं.1.उक्त विलेख उप-पंजीयक, वल्लियूर के कार्यालय में दर्ज किया गया था जिसमें दोनों आरोपी मौजूद थे और आरोपी नं। 1 उक्त दस्तावेज़ पर अपने अंगूठे का निशान लगाएँ।

सी.

डी.

ई.

11. अभि. साक्षी 2 (इरिन एडवर्ड) डोरिस विक्टर का परिचित था, जिसे पननगुडी के धनराज ने सूचित किया था कि आरोपी नं।1 डोरिस विक्टर से संबंधित एक संपत्ति के संबंध में पावर ऑफ अटॉर्नी को जाली बनाया है और राजपांडी के पक्ष में एक बंधक विलेख को निष्पादित और पंजीकृत करके उसे अलग करने का प्रयास किया है।आवश्यक आधिकारिक अभिलेखों का निरीक्षण करने के बाद, अभि. साक्षी 2 ने डोरिस विक्टर को सूचित किया जो चेन्नई में था, फिर अभि. साक्षी 2 और डोरिस विक्टर दोनों ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

एफ.

12. अभि. साक्षी 3 (रामसुब्रमण्यन), जो उक्त घटना के दौरान अभि. साक्षी 1 की सहायता कर रहा था, आरोपी का परिचित है और इस तथ्य से अवगत नहीं था कि डोरिस विक्टर होने का दावा करने वाली महिला असली थी या नहीं।पीडब्लू3 द्वारा दिया गया बयान पीडब्लू1 की पुष्टि करता है।

जी.

एच.

445

शीला सेबेस्टियन बनाम आर. जवाहराज और ए. एन. आर. [एन. वी. रमना, जे.] ए.

ए.

13. अभि. साक्षी 4 (सुश्री लता) उप-पंजीयक थीं जब अभियुक्त व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी के पंजीकरण के लिए धोखेबाज़ के साथ आए थे।पंजीकरण के दौरान, धोखेबाज़ के साथ, आरोपी नं। 2 राजापंडी ने गवाह के रूप में अपने हस्ताक्षर किए।उप-पंजीयक के कार्यालय में धोखेबाज़ के बाएं हाथ के अंगूठे की छाप रखी गई थी।मूल पावर ऑफ अटॉर्नी अभियुक्त नं. 1 जवाहरराज जिन्होंने उसी पर अपने हस्ताक्षर किए।

बी.

14. अभि. साक्षी 6 (श्री नागराजा) उप-पंजीयक के रूप में काम कर रहे थे जब अभियुक्त नं.1 अभियुक्त सं. के पक्ष में बंधक विलेख निष्पादित किया।2 और उन्होंने डोरिस विक्टर के एजेंट होने की क्षमता में अपने हस्ताक्षर किए और दस्तावेजों को पंजीकृत किया।

सी.

15. अभि. साक्षी 7 (श्री रामू) फोरेंसिक विभाग में एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने गवाही दी है कि धोखेबाज़ के विवादित हस्ताक्षर और डोरिस विक्टर के मूल हस्ताक्षर के बीच विसंगतियां मौजूद हैं।16. एक फिंगर प्रिंट रिकॉर्डिंग इंस्पेक्टर, अभि. साक्षी 8 (श्री अल्बोंस जेवियर) ने गवाही दी है कि कथित जाली पावर ऑफ अटॉर्नी पर मौजूद उंगलियों के निशान डोरिस विक्टर के निशान से मेल नहीं खाते हैं।

डी.

17. इस मोड़ पर, 'जालसाजी' की परिभाषा और इस पहलू पर उदाहरणों पर एक नज़र डालना उचित है।

463. जालसाजी-जो कोई भी जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुँचाने के इरादे से, या किसी दावे या अधिकार का समर्थन करने के लिए, या किसी व्यक्ति को संपत्ति से अलग करने के लिए, या किसी स्पष्ट या निहित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए, या धोखाधड़ी करने के इरादे से या धोखाधड़ी करने के इरादे से कोई भी गलत दस्तावेज [या गलत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड] या किसी दस्तावेज़ [या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड] का हिस्सा बनाता है, वह जालसाजी करता है।

ई.

एफ.

18. इस संदर्भ में आई. पी. सी. की धारा 464 के दायरे को समझना भी आवश्यक होगा -

464. झूठा दस्तावेज़ बनाना।—एक व्यक्ति को कहा जाता है कि एक

गलत दस्तावेज़ या गलत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड-पहला।—जो बेईमानी या धोखाधड़ी से -

जी.

(ए) किसी दस्तावेज़ या दस्तावेज़ के हिस्से को बनाता है, हस्ताक्षर करता है, मुहर लगाता है या निष्पादित करता है;

एच.

(बी) किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाता है या प्रसारित करता है;

(ग) किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाता है; (घ) किसी दस्तावेज़ के निष्पादन या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की प्रामाणिकता को दर्शाने वाला कोई भी निशान बनाता है;

बी.

यह विश्वास दिलाने के इरादे से कि ऐसा दस्तावेज़ या दस्तावेज़ का हिस्सा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किसी ऐसे व्यक्ति के प्राधिकरण द्वारा या उसके द्वारा किया गया था, हस्ताक्षर किए गए थे, मुहर लगाई गई थी, निष्पादित किया गया था, प्रेषित किया गया था या चिपकाया गया था जिसके द्वारा या जिसके अधिकार से वह जानता है कि यह नहीं बनाया गया था, हस्ताक्षर नहीं किया गया था, मुहर नहीं लगाई गई थी, निष्पादित नहीं किया गया था या चिपकाया गया था; या दूसरा।— जो वैध प्राधिकार के बिना, बेईमानी या धोखाधड़ी से, रद्द करके या अन्यथा, किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को उसके किसी भी भौतिक हिस्से में, इसे बनाए जाने के बाद, निष्पादित करने या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ चिपकाने के बाद, या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे वह व्यक्ति इस तरह के परिवर्तन के समय जीवित हो या मृत; या

सी.

डी.

तीसरी बात।— जो बेईमानी या धोखाधड़ी से किसी व्यक्ति को किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने, मुहर लगाने, निष्पादित करने या बदलने या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर अपने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाने का कारण बनता है, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति मन की अस्वस्थता या नशे के कारण नहीं कर सकता है, या यह कि छल के कारण उस पर अभ्यास किया जाता है, वह दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री या परिवर्तन की प्रकृति को नहीं जानता है।

ई.

स्पष्टीकरण 1.—एक व्यक्ति के अपने नाम का हस्ताक्षर जालसाजी के बराबर हो सकता है।

एफ.

स्पष्टीकरण 2.—एक काल्पनिक व्यक्ति के नाम पर एक झूठा दस्तावेज़ बनाना, यह मानने के इरादे से कि दस्तावेज़ एक वास्तविक व्यक्ति द्वारा बनाया गया था, या एक मृत व्यक्ति के नाम

पर, यह मानने के इरादे से कि दस्तावेज़ व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल में बनाया गया था, जालसाजी के बराबर हो सकता है।

जी.

स्पष्टीकरण 3.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाने वाली" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (डी) में दिया गया है।

एच.

447

शीला सेबेस्टियन बनाम आर. जवाहराज और ए. एन. आर. [एन. वी. रमना, जे.] ए.

ए.

19. उपरोक्त प्रावधानों की बारीकी से जांच से यह स्पष्ट होता है कि, धारा 463 जालसाजी के अपराध को परिभाषित करती है, जबकि धारा 464 आई. पी. सी. की धारा 463 के तहत जालसाजी का अपराध करने के उद्देश्य से एक गलत दस्तावेज कब बनाया गया था, इसका जवाब देकर इसकी पुष्टि करती है। इसलिए, हम सुरक्षित रूप से यह अनुमान लगा सकते हैं कि धारा 464 जालसाजी के घटकों में से एक को परिभाषित करती है, यानी गलत दस्तावेज़ बनाना।इसके अलावा, धारा 465 जालसाजी के अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है। धारा 465 के तहत दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए, पहले यह साबित करना होगा कि धारा 463 के तहत जालसाजी की गई थी, जिसका अर्थ है कि धारा 464 के तहत सामग्री को भी संतुष्ट किया जाना चाहिए।इसलिए जब तक धारा 463 के तहत सामग्री संतुष्ट नहीं होती है, तब तक किसी व्यक्ति को धारा 465 के तहत केवल धारा 464 के तत्वों पर भरोसा करके दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि जालसाजी का अपराध अधूरा रहेगा।

बी.

सी.

20. वर्तमान विवाद को उजागर करने की कुंजी आई. पी. सी. की धारा 464 में दिए गए स्पष्टीकरण 2 को समझने में निहित है। जैसा कि कॉलिन जे., इसे डिकिन्स बनाम गिल, (1896) 2 क्यू. बी. 310 में सटीक रूप से रखते हैं, एक ऐसा मामला जो काल्पनिक डाक टिकट रखने और बनाने से संबंधित है जिसमें उन्होंने कहा कि "बनाना", अपने आप में निर्माता की ओर से सचेत कार्य शामिल है।इसलिए, जालसाजी का अपराध उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं हो सकता है जिसने इसे नहीं बनाया है या हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

डी.

21. यह मामले में देखा गया है Md। इब्राहिम और ओरस बनाम।की स्थिति

बिहार और अन्र., (2009) 8 एस. सी. सी. 751 कि -

ई.

“कहा जाता है कि किसी व्यक्ति ने 'झूठा दस्तावेज' बनाया है, यदि

((i) उसने किसी और के होने का दावा करने वाला या किसी और द्वारा अधिकृत दस्तावेज़ बनाया या निष्पादित किया; या

((ख) उसने किसी दस्तावेज़ में परिवर्तन या छेड़छाड़ की हो; या

एफ.

(iii) उसने धोखे का अभ्यास करके, या किसी ऐसे व्यक्ति से दस्तावेज़ प्राप्त किया जो अपनी इंद्रियों के नियंत्रण में नहीं था।”

22. में एम. इब्राहिम (ऊपर), इस न्यायालय के पास एक मूल्यवान प्रतिभूति (धारा 467, आई. पी. सी.) होने का दावा करने वाले दस्तावेज़ की जालसाजी और जाली दस्तावेज़ को वास्तविक (धारा 471, आई. पी. सी.) के रूप में उपयोग करने की जांच करने का अवसर था। दोनों अपराधों के मूल तत्वों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि आई. पी. सी. की धारा 463 के तहत परिभाषित जालसाजी के अपराध को आकर्षित करने के लिए, आई. पी. सी. की धारा 464 के तहत परिभाषित दस्तावेज़ के निर्माण पर निर्भर करता है। यह आगे देखा गया है कि केवल एक बिक्री का निष्पादन

जी.

एच.

यह दावा करने वाला विलेख कि बेची जा रही संपत्ति निष्पादक की संपत्ति थी, आई. पी. सी. की धारा 467 और 471 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए नहीं है, भले ही संपत्ति का अधिकार निष्पादक में निहित न हो।23. न्यायालय ने एम. डी. इब्राहिम (उपरोक्त) ने कहा:“बिक्री विलेख निष्पादित करने वाले व्यक्ति के बीच एक मौलिक अंतर है जो दावा करता है कि दी गई संपत्ति उसकी संपत्ति है, और एक व्यक्ति जो मालिक का प्रतिरूपण करके या मालिक द्वारा अधिकृत या सशक्त होने का झूठा दावा करके बिक्री विलेख निष्पादित करता है, ताकि मालिक की ओर से विलेख निष्पादित किया जा सके।जब कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज़ को निष्पादित करता है जो उसे अपनी संपत्ति बताता है, तो दो संभावनाएँ होती हैं।पहला यह है कि

वह ईमानदारी से मानता है कि संपत्ति वास्तव में उसकी है।दूसरा यह है कि हो सकता है कि वह बेईमानी से या धोखाधड़ी से इसे अपना होने का दावा कर रहा हो, भले ही वह जानता हो कि यह उसकी संपत्ति नहीं है।लेकिन 'झूठे दस्तावेजों' की पहली श्रेणी में आने के लिए, यह पर्याप्त नहीं है कि किसी दस्तावेज़ को बेईमानी या धोखाधड़ी से बनाया या निष्पादित किया गया हो।एक और आवश्यकता है कि यह इस इरादे से बनाया जाना चाहिए था कि यह विश्वास कराया जाए कि ऐसा दस्तावेज़ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके अधिकार द्वारा बनाया गया था या निष्पादित किया गया था, जिसके द्वारा या जिसके अधिकार से वह जानता है कि यह नहीं बनाया गया था या निष्पादित नहीं किया गया था।

बी.

सी.

डी.

जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी संपत्ति का दावा करते हुए दस्तावेज़ निष्पादित किया जाता है जो उसकी नहीं है, तो वह यह दावा नहीं कर रहा है कि वह कोई और है और न ही वह यह दावा कर रहा है कि वह किसी और द्वारा अधिकृत है।इसलिए, ऐसे दस्तावेज़ का निष्पादन (कुछ संपत्ति को व्यक्त करने के लिए जिसका वह मालिक नहीं है) संहिता की धारा 464 के तहत परिभाषित एक झूठे दस्तावेज़ का निष्पादन नहीं है।यदि जो निष्पादित किया जाता है वह झूठा दस्तावेज नहीं है, तो कोई जालसाजी नहीं है।यदि कोई जालसाजी नहीं है, तो न तो धारा 467 और न ही संहिता की धारा 471 आकर्षित होती है।”

ई.

एफ.

24. मीर नागवी अस्करी बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो,

(2009) 15 एस. सी. सी. 643, यह न्यायालय, उस मामले के तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद, निम्नानुसार अवलोकन करने आयाः

जी.

“एक व्यक्ति को झूठा दस्तावेज या रिकॉर्ड बनाने के लिए कहा जाता है यदि वह तीन शर्तों में से एक को पूरा करता है जैसा कि पहले देखा गया है और उक्त धारा के तहत प्रदान किया गया है। पहली शर्त यह है कि दस्तावेज़ को ए बनाने के इरादे से गलत साबित किया गया है।

एच.

449

शीला सेबेस्टियन बनाम आर. जवाहराज और ए. एन. आर. [एन. वी. रमना, जे.] ए.

ऐसा माना जाता था कि ऐसा दस्तावेज़ एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाया गया है, जिसके द्वारा दस्तावेज़ को गलत साबित करने वाला व्यक्ति जानता है कि यह नहीं बनाया गया था।स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले में विचाराधीन दस्तावेज, भले ही यह माना जाए कि वे बेईमानी या धोखाधड़ी से बनाए गए थे, यह विश्वास दिलाने के इरादे से नहीं बनाए गए थे कि वे किसी और द्वारा या उसके अधिकार में बनाए गए थे।धारा का दूसरा मानदंड एक ऐसे मामले से संबंधित है जहां वैध प्राधिकरण के बिना कोई व्यक्ति दस्तावेज़ बनाए जाने के बाद उसे बदल देता है।वाउचर बनाए जाने के बाद उसमें बदलाव का कोई आरोप नहीं लगा है।इसलिए, हमारी राय में उक्त धारा का दूसरा मानदंड भी वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है।

बी.

सी.

धारा 464 की तीसरी और अंतिम शर्त एक ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़ से संबंधित है, जो अपनी मानसिक क्षमता के कारण उन दस्तावेजों की सामग्री को नहीं जानता है जो बनाए गए थे, यानी नशा या मन की अस्वस्थता आदि के कारण। हमारे सामने भी ऐसा नहीं है।इसलिए निर्विवाद रूप से हमारे सामने आरोपी को झूठा दस्तावेज बनाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था।

डी.

25. दंडात्मक कानून की सख्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, अर्थात, व्याख्या के नियम का उल्लेख करते हुए जिसमें प्राकृतिक निष्कर्षों को प्राथमिकता दी जाती है, हम देखते हैं कि जालसाजी का आरोप उस व्यक्ति पर नहीं लगाया जा सकता है जो इसका निर्माता नहीं है।जैसा कि बहुत से मामलों में माना जाता है, दस्तावेज़ बनाना उसे बनाने से अलग है।जैसा कि धारा 464 का स्पष्टीकरण 2 आगे स्पष्ट करता है कि, धारा 464 के तहत अपराध का गठन करने के लिए यह अनिवार्य है कि एक झूठा दस्तावेज बनाया जाए और आरोपी व्यक्ति उसी का निर्माता हो, अन्यथा आरोपी व्यक्ति जालसाजी के अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है।

ई.

एफ.

26. "गलत दस्तावेज़" की परिभाषा "जालसाजी" की परिभाषा का एक हिस्सा है।दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए।‘जालसाजी और धोखाधड़ी अनिवार्य रूप से साक्ष्य के मामले हैं जिन्हें प्रत्यक्ष साक्ष्य या सिद्ध तथ्यों से प्राप्त निष्कर्षों द्वारा एक तथ्य के रूप में साबित किया जा सकता है।हाथ में मामले में, ट्रायल न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है कि उत्तरदाताओं ने उस 'झूठे दस्तावेज़' की आड़ में बंधक विलेख को निष्पादित करने के लिए कोई झूठा दस्तावेज़ या दस्तावेज़/रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है।इसलिए, न तो प्रत्यर्थी नहीं।1 न ही प्रत्यर्थी नं।2 जाली के निर्माताओं के रूप में आयोजित किया जा सकता है

जी.

एच.

दस्तावेज़।यह कहा जा सकता है कि धोखेबाज ने जालसाजी करके झूठा दस्तावेज बनाया है। ऐसी स्थिति में निचली न्यायालय के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराकर खुद को गुमराह किया।इसलिए, उच्च न्यायालय ने तय कानूनी स्थिति के आधार पर आरोपी को सही ढंग से बरी कर दिया है और हमें इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

बी.

27. एक उचित संदेह को पहले ही पूरी तरह से समझाया जा चुका है।

लतेश @दादू बाबूराव कार्लेकर बनाम राज्य का मामला

महाराष्ट्र**, (2018) 3** एस**.** सी**.** सी**. 66** जिसमें 'उचित संदेह' किया गया है।

इस न्यायालय द्वारा "अत्यधिक सावधानी और संदेह के प्रति अत्यधिक उदासीनता के बीच एक साधन के रूप में, आगे यह विस्तार से बताया गया है कि उचित संदेह एक व्यावहारिक होना चाहिए न कि एक अमूर्त।

सी.

सैद्धांतिक परिकल्पना।" इस मामले में, संबंधित अधिकारी द्वारा धोखेबाज का पता नहीं लगाया गया है या उसकी जांच नहीं की गई है।धोखेबाज़ और प्रत्यर्थी के बीच संबंध पर कुछ भी नहीं बताया गया है।1.कानून इस तथ्य के संबंध में अच्छी तरह से स्थापित है कि संदेह कितना भी मजबूत हो, यह सबूत की जगह नहीं ले सकता है।प्रबल संदेह, संयोग, गम्भीर संदेह प्रमाण की जगह नहीं ले सकते।यह सुनिश्चित करना हमेशा अदालतों का कर्तव्य होता है कि कानूनी सबूत पर संदेह न हो।इस मामले में, निचली न्यायालय के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य को खारिज कर दिया कि आरोपी बंधक विलेख का लाभार्थी या निष्पादक है, जहां अभियोजन पक्ष पहले लेनदेन यानी पी. ओ. ए. को धोखाधड़ी और जाली लेनदेन के रूप में साबित करने में बुरी तरह विफल रहा।आपराधिक मुकदमे में सबूत का मानक उचित संदेह से परे सबूत है क्योंकि किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को संभावना की प्रधानता के मानक द्वारा कभी भी नहीं खोया जा सकता है।

डी.

ई.

28. यह मामला खराब अभियोजन और घटिया जांच का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को बरी कर दिया गया।जाँच अधिकारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय मेहनती होने की अपेक्षा की जाती है।उसे निष्पक्ष, पारदर्शी होना चाहिए और उसका एकमात्र प्रयास सच्चाई का पता लगाने का होना चाहिए।जांच अधिकारी ने पी. ओ. ए. को अंजाम देने वाले धोखेबाज़ के ठिकाने का पता लगाने के लिए कम से कम ध्यान भी नहीं दिया है। अभिलेख पर साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि शिकायतकर्ता द्वारा पी. ओ. ए. को निष्पादित नहीं किया गया था और लाभार्थी आरोपी है, फिर भी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सका।एकतरफा जाँच में अड़चनें मामले की जड़ तक जाती हैं और अभियोजन के मामले के लिए घातक होती हैं।यदि अभियोजन पक्ष और जांच एजेंसी के बीच यह समन्वय है, तो हर आपराधिक मामले में बरी होने की प्रवृत्ति होती है।इस प्रक्रिया में, ए

एफ.

जी.

एच.

आम आदमी आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली पर विश्वास खो देगा, जो एक अच्छा लक्षण नहीं है।जाँच, अभियोजन पक्ष के साथ-साथ न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि पूर्ण और भौतिक तथ्यों और साक्ष्य को अभिलेख पर लाया जाए, ताकि न्याय की विफलता की कोई गुंजाइश न हो।

29. यद्यपि हम जालसाजी के कथित कृत्यों के कारण पीड़ित अपीलार्थी की दुर्दशा को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम अपीलार्थी की शिकायतों की सराहना करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि दंडात्मक क़ानून को निहितार्थ का उपयोग करके विस्तारित नहीं किया जा सकता है।आई. पी. सी. की धारा 464 यह स्पष्ट करती है कि केवल वही व्यक्ति जो झूठा दस्तावेज बनाता है, उसे उपरोक्त प्रावधान के तहत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जहां कोई अस्पष्टता नहीं है, वहां व्याख्या की कोई गुंजाइश नहीं है।अपीलार्थी की दलीलें प्रावधान के विपरीत और तय किए गए कानून के विपरीत हैं।अभियोजन पक्ष ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य पेश करके जालसाजी के अपराध को साबित करने में सफल नहीं हो सका।इसके अलावा, ऐसा नहीं है कि अपीलार्थी उपचारहीन है।उसके पास बंधक विलेख की वैधता और बाध्यकारी प्रकृति को चुनौती देने वाला मुकदमा दायर करने का एक सामान्य कानूनी उपाय है और यह

हमारे ध्यान में लाया जाता है कि पहले से ही सक्षम दीवानी न्यायालय ने बंधक विलेख को रद्द कर दिया है और अपीलार्थी को संपत्ति वापस मिल गई है।30. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अपीलें गुणदोष से रहित होने के कारण खारिज हो जाती हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

देविका गुजराल

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

एफ.

जी.

एच.